न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 94/2018/अपील/एलआरएक्ट/बांरा
तारीख दायराः 25.10.2018
अन्तर्गत धाराः 76 एल.आर.एक्ट

उनवान

1 कालूलाल पुत्र मूलचंद
2 खेमराज पुत्र मूलचंद
3 धन्नालाल उर्फ पन्नालाल पुत्र माधोलाल जाति मीणा निवासीगण वार्ड नम्बर 20 मांगरोल तह0 मांगरोल जिला बांरा–राज0।

...अपीलांट

बनाम

1. गिर्राज आत्मज नंदकिशोर
2. रामसिंह आत्मज नंदकिशोर जाति मीणा निवासी वार्ड नम्बर 20 मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बांरा।
3. भंवरबाई पुत्री नंदकिशोर पत्नी शिवराज जाति मीणा निवासी हरनावदा तहसील अटरू जिला बांरा–राज0।
4. सुनीता पुत्री नंदकिशोर पत्नी दानमल जाति मीणा, निवासी रामपुरिया (तिसाया)तहसील मांगरोल जिला बांरा–राज0।
5. ममता पुत्री नंदकिशोर पत्नी सोनू जाति मीणा, निवासी छत्रपुरा वाया सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बांरा–राज0।
6. सुशीला बेवा नंदकिशोर जाति मीणा निवासी वार्ड नम्बर–20 मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बांरा–राज0।
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल जिला बांरा–राज0।

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री हेमराज मीणा अभिभाषक अपीलांट
श्री वीरेन्द्र राठोर अभिभाषक रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 1.10.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 01/1018 बउनवान कालूलाल वगेरा बनाम गिर्राज आदि अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 18.6.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 एलआरएक्ट मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलांट ने परीक्षण न्यायालय तहसीलदार मांगरोल द्वारा पारित वसीयती आदेश दिनांक 4.8.2017 व आदेश की पालना मे तस्दीकी नामान्तरकरण संख्या 2285 दिनांक 16.8.2017 वाके ग्राम मॉगरोल से अप्रसन्न होकर राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील

अति० सं० आयु०
कोटा

न्यायालय जिला कलक्टर बांरा मे इस आशय की पेश की गई कि मांगरोल के खाता सं0 711 मे खसरा नम्बर 3513, 3514, 3515 कुल 0.77 है0 आराजी खातेदार मथुरालाल, धन्नालाल, श्रीलाल पि0 माधोलाल मीणा निवासी मांगरोल, खाता सं0 714 के ख0 नं0 2247, 2448, 2449, 2450 रकबा 1.25 है0 खातेदार मथुरालाल पुत्र माधोलाल मीणा निव0 मांगरोल खाता सं0 791 के खसरा नम्बर 3616 रकबा 1.31 है0 खातेदार मूलीलाल, मथुरालाल पि0 माधोलाल जाति मीणा नि0 मांगरोल खाता सं0 795 की आराजी ख0 नं0 नम्बर 3313, 3593 कुल 1.38 है0 खातेदार मूल्या, मथुरा व पन्ना पिसरान माधो मीना निवासी मांगरोल के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। रेस्पो0 क्रम 1 ता 6 मृतक नन्दकिशोर के वारिसान है मथुरालाल पुत्र माधोलाल मीना लाऔलाद फोत हुये है उन्होने अपने जीवनकाल मे कभी भी किसी को गोदनामा, वसीयतनामा आलेखित नही किया था। मृतक मथुरालाल अपीलांट के पिता मूलचंद का सगा भाई था। रेस्पो0 1 से 6 के पिता मृतक नन्दकिशोर ने फर्जी गोदनामा दिनांक 4.7.2003 मथुरालाल पुत्र माधोलाल का तैयार करवाकर मथुरालाल के हिस्से एंव कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजीयात को हडपने के उद्धेश्य से तैयार कराया गया था जबकि गोदनामा तस्दीक करते समय नन्दकिशोर की आयु 44 वर्ष थी तथा 44 वर्ष की आयु मे कानूनन गोद जाना व गोद लेना अवैध व अमान्य व प्रभावशून्य है। उक्त फर्जी बनावटी गोदनामे के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 4.8.2017 को निर्णय पारित जो विधि के स्वीकृत सिद्धातों के विपरीत होने से निरस्तनीय है मृतक नन्दकिशोर कभी भी मथुरालाल जी के गोद नही गया है क्योंकि मृतक नन्दकिशोर का जो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी है उसमे भी उसके पिता का नाम मूलचंद अंकित है जो दिनांक 23.6.2017 को जारी हुआ है इसी प्रकार आधार कार्ड, वोटर आईडी वोटर लिस्ट मे भी पिता का नाम मूलचंद अंकित है जो अपने आप प्रमाणित करता है कि नन्दकिशोर कभी भी मृतक मथुरालाल के गोद नही गया। अतः आदेश व इंतकाल निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय के उक्त आदेश मे कोई त्रुटि होना नही पाये जाने से अपील अपीलांट निर्णय दिनांक 18.8.2018 से खारिज कर दी जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय नियम एवं संचिता के प्रावधानो के हटकर निर्णय पारित किया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने गोदनामे से संबधित प्रतिवादित मूलभूत सिद्धान्तों/कानूनो को नजरअंदाज करते हुये जेरअपील आदेश पारित कर कानूनी त्रुटि की है। नन्दकिशोर की आयु 44 वर्ष होना रिकार्ड से प्रमाणित था। नन्दकिशोर ने गोदनामा अपने जीवनकाल मे शो नही किया क्योंकि नंदकिशोर स्वयं ही जानता था कि उक्त गोदनामा अवैध व प्रभावशून्य है तथा अवैध तरीके से तैयार किया गया है इसलिये नंदकिशोर की मृत्यु के पश्चात रेस्पो0 1 लगायत 6 द्वारा उक्त गोदनामा उजागर किया गया ताकि गोदनाम गोद लाने, गोद लेने वाले, गोद देने वाला व्यक्ति जीवित नही होने से उनको साक्ष्य मे नही किया जा सके। गोद जाने वाला व्यक्ति 12 वर्ष तक की आयु तक का होता है जो अपनी पैतृक सम्पत्ति मे हिस्सा छोडकर जाता है। जबकि उक्त प्रकरण मे नंदकिशोर अपने पिता मूलचंद की भूमि मे भी अपने सभी बहिन भाईयो के साथ अपने जीवनकाल मे सहखातेदार के रूपम` दर्ज नही आ बल्कि उसकी मृत्यु के पश्चात रेस्पो0 1 लगायत 6 द्वारा मूलचंद की भूमि पर अपना नाम अंकित करवा लिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजात का समुचित परीक्षण नही किया तथा इस तथ्य पर भी गोर नही किया की पक्षकार मीण जाति से है जो भारतीय संविधान मे अनुसूचित जनजाति की श्रेणी मे आती है तथा उन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता बल्कि ऑल्ड हिन्दू लॉ तथा उक्त जाति से संबधित प्रथाऐं लागू होती ह। इस प्रकार से पुराने हिन्दू कानून के तहत मथुरालाल की सम्पत्ति उसके पिता माधोलाल के अन्य वारिसान को रिवर्स के रूप मे प्राप्त होगी इस कारण से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार की अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश दिनांक 18.6.2018 एवं तहसीलदार मांगरोल का आदेश एवं नामा0 सं0 2285 निरस्त किया जाकर सिविल न्यायालय मांगरोल के निर्णय तक पूर्वस्थिति बहाल रखी जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने प्रश्नगत अपील प्रकरण मे लिखित बहस पेश की जिसका संक्षिप्त मे सार है कि विवादित भूमि मे केवल मथुरालाल के हिस्से का ही विवाद है मथुरा लाल लाऔलाद फौत हुये है मथुरा लाल के हिस्से के संबध मे मूलचंद के लडके नन्दकिशोर द्वारा गोदनामा दर्शाया गया जिससे विवादित नामा0

सदस्य रा० मं०
कोटा

तस्दीक किया गया। उक्त गोदनामे को अवैध शून्य घोषित किये जाने का वाद सिविल न्यायालय मागंरोल मे विचाराधीन है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय ने नामा0 की पुष्टि करके विधिक त्रुटि की है जबकि मूलवाद के निस्तारण तक नामा0 को विवादित करार देना चाहिये ताकि सम्पत्ति के सरंक्षा व सुरक्षा हो सके तथा पक्षकारो के मध्य और अधिक विवाद उत्पन्न न हो। अधीनस्थ गोदनामा शर्तो का उल्लधन कर पारित किया गया है इसलिये जेरअपील आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। गोदनामे के संबध मे सिविल न्यायालय मे वाद जेरकार है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय को नामा0 विवादित होने का नोट अंकित करने का आदेश पारित करना न्यायहित मे आवश्यक है क्योंकि प्रकार का नोट माननीय न्यायालय द्वारा ही एक अन्य प्रकरण 50/18 मे निर्णय दिनांक 4.6.19 को पारित किया गया है अतः प्रश्नगत अपील प्रकरण व उक्त उल्लेखित प्रकरण के तथ्य एक समान है। अतः नामा0 विवादित होने का नोट अंकित करने का आदेश प्रदान किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे बताया कि अपीलांट द्वारा एक ही अपील से तहसीलदार मांगरोल के आदेश दिनांक 4.8.17 एवं नामा0 सं0 2285 दिनांक 16.8.2017 को चेलेन्ज किया गया है जबकि विधि अनुसार पृथक पृथक आदेश की पृथक पृथक अपील करना आवश्यक है। मथुरालाल ने रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 4.7.2003 द्वारा नंदकिशोर को गोद लिया जिसके आधार पर आदेश पारित किया गया तथा उसके आधार पर नामा0 दर्ज किया गया है। अपीलांट का गोदनामा फर्जी होने संबधी कथन गलत है क्योंकि रजिस्टर्ड गोदनामा गलत है तो सिविल कोर्ट से खारिज करावे। अधीनस्थ न्यायालय ने गोदनामा को सही माना है। सिविल न्यायालय मांगरोल मे वाद लम्बित है। नामान्तरकरण कार्यवाही फिक्सल प्रोसिडिंग है इससे किसी व्यक्ति/आसामी के स्वत्व का निर्धारण नही किया जाता। ऐसी स्थिति मे नामान्तरकरण को विवादित करार दिये जाने का कोई न्यायोचित औचित्य इस स्टेज पर नही है। अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को सही खारिज किया है। अतः प्रश्नगत अपील आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का अवलोकन किया गया। मथुरालाल लाऔलाद फौत हुआ है। मथुरालाल के कोई वारिस नही होने से नन्दकिशोर पुत्र मूलचंद को दत्तक ग्रहण कर दिनांक 4.7.2003 को रजिस्टर्ड गोदनामा तहसील मांगरोल मे पंजीकृत कराया है। परीक्षण न्यायालय ने गोदनामा, गोदनामे के गवाहान की विधिक साक्ष्य उपरांत मृतक नंदकिशोर के वारिसान रेस्पो0 के नाम मथुरालाल के हिस्से की आराजी दर्ज करने के आदेश पारित किये है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि उक्त गोदनामा फर्जी व अवैध है जिसके संबध मे सिविल न्यायालय मांगरोल मे वाद लम्बित है। दौरोने बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान द्वारा भी वाद सिविल न्यायालय मे लम्बित होने का कथन किया गया है। ऐसी स्थिति मे सिविल न्यायालय मांगरोल मे विचाराधीन वाद मे ही पक्षकारान के स्वत्व/विवाद्यक तय होगे। अतः इस स्टेज पर नामान्तरकरण को विवादित करार दिये जाने संबधी अपीलांट का तर्क न्यायोचित प्रकट नही होता है क्योंकि नामा0 कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है जिसमे किसी व्यक्ति/आसामी के स्वत्व का निर्धारण नही किया जाता। अधीनस्थ न्यायालय ने भी प्रकरण मे तथ्यों का समुचित परीक्षण कर अपने निर्णय दिनांक 18.6.2018 मे उक्त अभिमत प्रकट करते हुये अपील अपीलांट खारिज की है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अभिमत न्यायोचित होने से प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट कोई अनुतोष प्राप्त करने का विधिक अधिकारी होना प्रकट नही होता है। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 1.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा